बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
**–:संकल्पः–**

श्री मनीष कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी–01 के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक– 493, दिनांक–10.02.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि बेगूसराय जिला में Bihar Shops and Establishment Act, 1953 के अंतर्गत दिनांक–16.01.2017 तक ऑनलाईन निबंधन शुरू होने से पहले कुल निबंधित 13737 दुकानों/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध मात्र 1242 दुकानों/प्रतिष्ठानों का डाटा ऑनलाईन प्रविष्ट किया गया, जो कुल का मात्र 9.04% अर्थात् 10% से कम है। यह कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्रमायक्त, बिहार ने जिन जिलों में 10% से कम की प्रगति है केवल उनके विरूद्ध ही विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की अनुशंसा की है। श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–516, दिनांक–03.03.2017 एवं अन्य अनुवर्ती पत्रों द्वारा श्री मनीष कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री मनीष कुमार का स्पष्टीकरण कार्यालय, उप श्रमायुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, बेगूसराय के पत्रांक–745 दिनांक–24.06.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि दिनांक–16.01.2017 तक 1323 निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण पूरा कर डाटा मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिनमें 81 बंद पाये गए दुकानों/प्रतिष्ठानों की ऑफलाईन प्रविष्टि सम्मिलित है। श्री कुमार ने उल्लेख किया है कि मुख्यालय द्वारा जो आंकडे तैयार किये गए है उनमें सिर्फ निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों के आंकडे सम्मिलित हैं। दिनांक–30.11.2016 को श्रमायुक्त के अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक एवं उक्त के आलोक में उप श्रमायुक्त, बेगूसराय एवं सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर से प्राप्त निदेश के आलोक में निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों के साथ–साथ अनिबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों का भी डाटा तैयार किया गया। श्री कुमार ने उल्लेख किया है कि दिनांक–16.01.2017 तक 1732 अनिबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कर ऑफलाईन डाटा मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार उल्लेख करते है कि इस प्रकार दिनांक–16.01.2017 तक कुल 3055(1323–निबंधित+1732–अनिबंधित) दुकानों/प्रतिष्ठानों का आंकडा मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया जो कुल निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों का लगभग 22 प्रतिशत है। श्री कुमार उल्लेख करते है कि यदि पूर्व से यह पता रहता कि सिर्फ निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना है, तो सिर्फ निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों का ही सर्वेक्षण करा कर डाटा प्रविष्टि कराई जाती है जिससे श्रम एवं समय की बचत होती। श्री कुमार उल्लेख करते है कि विभागीय निदेशो के आलोक में दुकानों/प्रतिष्ठानों सर्वे हेतु समय–समय पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि बेगूसराय में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों एवं कार्यालय लिपिको की कमी के कारण भी सर्वेक्षण कार्य की प्रगति धीमी रही। साथ ही श्री कुमार जिक्र करते है कि ऑनलाईन डाटा प्रविष्टि कार्य के अतिरिक्त उक्त अवधि में उनके द्वारा समय–समय पर विभागीय एवं गैर विभागीय दायित्वो का सफलता पूर्वक निर्वहण किया गया।

3. श्री मनीष कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्रमायुक्त, बिहार का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में यह अंकित किया है कि बेगूसराय जिले में निबंधित 13737 दुकानों/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा मात्र 1323 दुकानों/प्रतिष्ठानों की प्रविष्टि कराई गई जो कुल दुकानों/प्रतिष्ठानों का 9.63 प्रतिशत है। दिनांक–17.01.2017 को आयोजित बैठक की समीक्षा के

क्रम में उन्ही जिलों के श्रम अधीक्षकों के विरूद्ध कार्रवई की अनुशंसा की गई थी, जिन्होंने 10 प्रतिशत से कम आंकडा ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्रविष्टि किया हो। श्रमायुक्त ने अपने मंतव्य में यह भी अंकित किया है कि बार–बार विभागीय ओदश के बावजूद श्री कुमार के कार्यो में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया जो न केवल कर्तव्य के प्रति लापरवाही है बल्कि उच्चाधिकारियों के निदेश की अवहेलना है। श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य के आलोक में विभागीय पत्रांक–2490A दिनांक–18.09.2017 एवं अनुवर्ती पत्र द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के अंतर्गत श्री मनीष कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

4. श्री मनीष कुमार का स्पष्टीकरण कार्यालय श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के पत्रांक–177 दिनांक–01.03.2018 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें कोई नया तथ्य अंकित नहीं है। श्री कुमार के द्वितीय स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। श्री कुमार ने अपने द्वितीय स्पष्टीकरण में पूर्व की भांति उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा यदि अनिबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों की डाटा प्रविष्टि नहीं की गई होती तो निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों की डाटा प्रविष्टि में उपलब्धि निश्चित रूप से अधिक होती। श्री कुमार ने अपने कथन के समर्थन में यह तर्क दिया है कि दिनांक–16.01.2017 को Revised Online Enrty Report में नवादा, सुपौल, बक्सर जैसे 12 जिले है जिन्होंने एक भी अनिबंधित दुकानों की डाटा प्रविष्ट नहीं कराई फिर भी निबंधित दुकानों की डाटा प्रविष्टि में उनका आंकडा 10 प्रतिशत से अधिक है। परन्तु श्री मनीष कुमार का यह कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि Revised Online Entry Report (Shops & Establishment District Wise) dt. 16.01.2017 की विवरणी से यह भी स्पष्ट है कि वैशाली, बेतिया, रोहतास, पटना आदि अन्य जिलों ने अनिबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों की डाटा प्रविष्टि कराई है फिर भी उनका निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों का डाटा इंट्री का प्रतिशत बेहतर है। साथ ही श्रमायुक्त, बिहार द्वारा प्रपत्र 'क' के साक्ष्य में दिये गए विभिन्न पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिर्फ निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों के आंकडों की प्रविष्टि की जानी थी जिसके लिए श्रम अधीक्षकों को (श्री कुमार को भी) लगातार निदेशित किया गया। दिनांक–17.01.2017 को अयोजित बैठक में समीक्षा के क्रम में उन्ही जिलों के श्रम अधीक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी जिन्होंने 10 प्रतिशत से कम आंकडा ऑनलाईन या ऑफलाईन प्रविष्ट की है। सक्षम प्राधिकार द्वारा यह भी पाया गया कि बेगूसराय जैसे जगह के लिए दुकान एवं प्रतिष्ठान की संख्य को देखते हुए श्री मनीष कुमार द्वारा सर्वेक्षण एवं प्रविष्टि कराई गई कुल आंकड़े बहुत ही कम है। समीक्षोपरांत श्री मनीष कुमार के द्वारा Bihar Shops and Establishment Act, 1953 के अंतर्गत ऑनलाईन डाटा प्रविष्टि कार्य में बरती गयी लापरवाही को सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित पाया गया एवं भविष्य के लिए सचेत करते हुए श्री मनीष कुमार के विरूद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा देने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव श्री मनीष कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी–01 के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (v) के तहत भविष्य के लिए सचेत करते हुए लघु दण्ड स्वरूप एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री मनीष कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी–01 को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
**(सुधा रानी)**
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–02/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–02/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–02/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

निबंधित/स्पीड ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–2/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री मनीष कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–02/2017 श्र०सं०– 1337 पटना, दिनांक–08/6/2018
प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/विशेष सचिव/अवर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 06 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.6.18

विशेष कार्य पदाधिकारी

8/6/18